मुख्य अभियन्ता का कार्यालय,
केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण
जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, अनिसाबाद, पटना–2

का0 आ0 सं0– 01/रू०(स्था०)03–41/2017 09 / पटना, दिनांकः– 15/01/2026

–: आदेश :–

वित्त विभागीय पत्रांक–4685 दिनांक–25.06.2003 से निर्गत सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली 2003, वित्त विभाग का संकल्प संख्या–7566 दिनांक–14.07.2010 रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति योजन नियमावली 2010, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–10543 दिनांक–06.10.2025, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–4862 दिनांक–29.04.2025, वित्त विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं०–4058 दिनांक–28.07.2005 एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–238 दिनांक–12.01.2004 तथा जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना ज्ञापांक–1585 दिनांक–04.04.2025 एवं बिहार सरकार द्वारा इससे संबंधित अन्य पत्र/परिपत्र के आलोक में परिक्षेत्राधीन वर्ग–03 (प्रारूपकार कोटि–II) के कार्यरत/सेवानिवृत/मृत कर्मियों जो ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० नियमावली के तहत निर्धारित शर्तो को पुरा करते है का प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय में दिनांक–06.12.2025 को स्क्रीनिंग समिति की बैठक आहूत की गई। स्क्रीनिंग समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में वर्ग–03 (प्रारूपकार कोटि–II) के निम्नांकित कर्मियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय उन्नयन उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–5, 6 एवं 7 में अंकित तिथि वेतनमान/ग्रेड–पे/वेतन लेवल की स्वीकृति दी जाती है :–

क्र०	नाम/पदनाम/कार्यालय का नाम	सेवा में योगदान की तिथि	जन्म तिथि/ सेवानिवृति की तिथि	स्वीकृत ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के अन्तर्गत वेतनमान/ग्रेड पे/लेवल एवं तिथि			अभ्युक्ति
				प्रथम ए०सी०पी०/ एम०ए०सी०पी०	द्वितीय ए०सी०पी०/ एम०ए०सी०पी०	तृतीय एम०ए०सी०पी०	
1	2	3	4	5	6	7	8
प्रारूपकार कोटि–II							
1	स्व० गोपाल प्रसाद (मृत्यु तिथि) प्रारूपकार कोटि–II, बाढ़ नियंत्रण रूपांकण प्र0–1, पटना।	05.08.1968	18.06.1947 19.10.2003	दि०–09.08. 1999 के प्रभाव से ए०सी०पी० वेतनमान 5000–8000 में संशोधित।	–	–	मु०अ०, के०रू०, ज०सं०वि०, पटना का पत्रांक–1011 दिनांक–03.09.2005 द्वारा देय द्वितीय ACP रद्द।

2. नियंत्री पदाधिकारी संबंधित कर्मी को वेतन निर्धारण एवं देय लाभों के भुगतान के पूर्व उनके सेवापुस्त में सेवा की टुट आदि की सम्यक जाँच कर लेंगे एवं जाँचोपरान्त यदि कोई प्रतिकूल तथ्य जो स्वीकृत लाभों को प्रभावित करता हो प्रकाश में आये तो उक्त के संबंध में अपेक्षित नियमानुकूल कार्रवाई करेंगे।

3. इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप मौलिक नियमावली के नियम 22(1)ए(i) के प्रावधानों के अनुसार वेतन निर्धारण हेतु संबंधित कर्मी द्वारा यह विकल्प प्रयोग किया जाना है कि वे वित्तीय उन्नयन की तिथि से वेतन निर्धारण करायेंगे अथवा अगले वेतनवृद्धि की तिथि से। उक्त विकल्प आदेश निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर अपेक्षित नियमानुकूल कार्रवाई करेंगे।

4. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप उपरोक्त कर्मियों का वेतन निर्धारण सुनिश्चित वित्तीय योजना 2003 एवं रूपांतरित वित्तीय सुनिश्चित योजना 2010 तथा वित्त विभाग, बिहार, पटना का अधिसूचना सं०–10543 दिनांक–06.10.2025 द्वारा निर्गत बिहार राज्य कर्मचारी सेवा–शर्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली 2025 के सुसंगत प्रावधानो के तहत किया जायेगा।

5. उपरोक्त कर्मियों के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने अथवा प्रतिकूल विभागीय आदेश प्राप्त होने की स्थिति में संबंधित कर्मियों को प्रदत सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन (ए०सी०पी०/रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन एम०ए०सी०पी०) का लाभ से संबंधित आदेश को संशोधित/रद्द कर दिया जायेगा एवं उन्हें भुगतान किये गये अधिकाई राशि/अन्तर राशि की वसूली कर ली जायेगी।

6. यह वित्तीय उन्नयन का लाभ व्यक्तिगत होगा जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा।

15/01/2026
(महमूद आलम)
मुख्य अभियंता।

ज्ञापांक– 01/रू०(स्था०)03–41/2017 82 / पटना, दिनांक :– 15/01/2026
प्रतिलिपि– परिक्षेत्राधीन सभी अधीक्षण अभियंता/निदेशक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, पटना/परिक्षेत्राधीन सभी कार्यपालक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/01/2026
मुख्य अभियंता।

ज्ञापांक– 01/रू०(स्था०)03–41/2017 82 / पटना, दिनांक :– 15/01/2026
प्रतिलिपि– श्री सुशील कुमार मिश्र, उप सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/01/2026
मुख्य अभियंता।

ज्ञापांक– 01/रू०(स्था०)03–41/2017 82 / पटना, दिनांक :– 15/01/2026
प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं आई०टी० मैनेजर, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय/Common integrated website पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/01/2026
मुख्य अभियंता।